

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2024/114507/BJN/BIJNOR/736/CFO

दिनांक : 13-04-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **MODERN ERA PUBLIC SCHOOL AT VILL IMADPUR NEHTAUR TEH DHAMPUR DISTT BIJNOR** पता **114,JHALU ROAD NEHTAUR,VILL IMADPUR NEHTAUR** तहसील - **DHAMPUR** प्लॉट एरिया **8015 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3540.30** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL BLOCK	3	0	11.42 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **MODERN ERA PUBLIC SCHOOL AT VILL IMADPUR NEHTAUR TEH DHAMPUR DISTT BIJNOR** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **18-04-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ANIL CHAUDHARY** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **21-04-2024** से **21-04-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **MODERN ERA PUBLIC SCHOOL AT VILL IMADPUR NEHTAUR TEH DHAMPUR DISTT BIJNOR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **MODERN ERA PUBLIC SCHOOL AT VILL IMADPUR NEHTAUR TEH DHAMPUR DISTT BIJNOR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : उक्त भवन को अग्निशमन अंतिम अनापत्ति प्रमाणपत्र शासनादेशसंख्या-18 /छ-पु-8-2022/905-34-201टी०सी०दिनांक07-01-2022एवं उ0प्र0अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली2024के उपबन्धों एवं FSSOधामपुर की संस्तुति के आधार पर निर्गत किया जाता है। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करे। फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेंसी से कराया जाये। विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भवन के स्वरूप की वैधता सम्बंधित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा यदि सम्बंधित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो यह अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

AJAY KUMAR SHARMA

A374EAC7B2755ED009D1F2B68F02126B261C8225

21-04-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 21-04-2024
स्थान : BIJNOR

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.